नई शिक्षा नीति–2020 (एन.ई.पी.–2020) के संदर्भ में समावेशी शिक्षा में शोध और नवाचार

आकांक्षा पाटिल,
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग
ओम प्रकाश सिंह,
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग
डॉ. भूमिका मिश्रा,
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग

शोध सारांशः

नई शिक्षा नीति–2020 (एन.ई.पी.–2020) भारत की शैक्षिक संरचना में परिवर्तन लाने की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, समानतापूर्ण, बहु–विकल्पीय और गुणवत्ता–संपन्न बनाना है। इस नीति के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है, ताकि सभी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, और शारीरिक विविधताओं वाले विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकें। विशेष रूप से समाज में रहने वाले वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन, बालिकाएं और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र इस नीति के मुख्य केंद्र में हैं।

नीति के अनुसार, शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित किया जाना चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को समझते हुए लचीलापन और पहुंच सुनिश्चित कर सके। इसके लिए शोध और नवाचार को शिक्षा नीति के केंद्र में रखा गया है। शिक्षक प्रशिक्षण में नवाचार, डिजिटल तकनीकों का समावेश, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, और स्थानीय संसाधनों का प्रयोगकृये सभी पहलू समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

यह शोध समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीन प्रयोगों, नवाचारों और अनुसंधान की पड़ताल करता है तथा यह दर्शाता है कि किस प्रकार शिक्षा नीतियां, संस्थागत संरचनाएं और शैक्षिक तकनीक मिलकर एक ऐसी प्रणाली बना सकती हैं जो हर छात्र की व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करे। समावेशिता केवल पहुँच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षण–पद्धतियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और विद्यार्थियों की भागीदारी के प्रत्येक स्तर पर समानता और सम्मान की स्थापना से जुड़ी हुई है।

मुख्य शब्दः नई शिक्षा नीति–2020, समावेशी शिक्षा, डिजिटल तकनीक, शैक्षिक तकनीक।

प्रस्तावनाः

शिक्षा समाज की रीढ़ होती है। यह न केवल व्यक्तित्व के निर्माण का माध्यम है, बल्कि समाज में समानता, जागरूकता और सतत विकास को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख आधार भी है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में, जहाँ सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, शारीरिक और सांस्कृतिक भिन्नताएँ अत्यधिक हैं, वहाँ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी जो समावेशी, लचीली और नवाचार–प्रेरित हो। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 2020 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति–2020 को लागू किया, जो 34 वर्षों के अंतराल के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत है।

नई शिक्षा नीति–2020, समावेशी शिक्षा को अपने मूल सिद्धांतों में शामिल करती है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान का स्थानांतरण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यापक, सुलभ और अनुकूल बनाना है, ताकि हर वर्ग के छात्र चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि से आते हों उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकें। विशेष रूप से नीति उन छात्रों को ध्यान में रखती है जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली से बाहर रह गए हैं, जैसे कि दिव्यांगजन, लड़कियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजातियों के छात्र और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थी।

समावेशी शिक्षा की अवधारणाः

समावेशी शिक्षा एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी छात्रकृबिना किसी भेदभाव केकृएक साथ, समान अवसरों और संसाधनों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह दृष्टिकोण केवल पहुँच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सहभागिता, उपलब्धि, और स्वीकृति तक विस्तारित होता है। समावेशी शिक्षा छात्रों की विविध आवश्यकताओं, क्षमताओं, पृष्ठभूमियों और रुचियों को मान्यता देते हुए, एक लचीली और उत्तरदायी शिक्षा प्रणाली की मांग करती है।

एन.ई.पी.–2020 समावेशी शिक्षा को न केवल एक आदर्श के रूप में, बल्कि एक व्यावहारिक रणनीति के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसे नीति के हर स्तर प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तककृमें लागू किया जाना है। इस नीति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक हो सकता है जब यह वास्तव में समावेशी हो।

शिक्षा में नवाचार की भूमिकाः

समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केवल पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में निरंतर नवाचार की आवश्यकता है। नवाचार से तात्पर्य है कि नई सोच, नई पद्धतियाँ, नई तकनीकें, और नए दृष्टिकोणों का प्रयोग, जो शिक्षा को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और समावेशी बना सकें। एन.ई.पी.–2020 इस दिशा में शोध और नवाचार को विशेष प्रोत्साहन देती है। नीति का मानना है कि भारत को 21वीं सदी में ज्ञान–आधारित समाज में बदलने के लिए अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है।

डिजिटल तकनीकों का समावेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा में डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग, वैयक्तिकृत शिक्षण, मातृभाषा में शिक्षा, और स्थानीय सन्दर्भों के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन ये सभी ऐसे नवाचार हैं जो समावेशी शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं।

साहित्य समीक्षाः

समावेषी षिक्षा का विचार शैक्षिक क्षेत्र में कोई नया नहीं है, किंतु नई षिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी.–2020) के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। यह नीति षिक्षा को समावेषी, समान और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिषा में एक सषक्त कदम है। विभिन्न विद्वानों, संस्थानों और ष्शोधों ने समावेषी षिक्षा की अवधारणा, चुनौतियों, नवाचारों और नीतिगत प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया है।

यूनिसेफ के अनुसार, समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जो सभी बच्चों विशेषकर किनारे पर खड़े वर्गों जैसे दिव्यांगजन, बालिकाएं, अल्पसंख्यक, निर्धन आदि को शिक्षा की मुख्यधारा में लाती है। **पदेबवू (2002) के अनुसार**, विविधता को बाधा नहीं, बल्कि संसाधन माना जाना चाहिए। भारत में –2009 ने इस दिशा में आधारशिला रखी, जिसे एन.ई.पी.–2020 और आगे बढ़ाती है।

नई शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से वंचित वर्गों–एसटी, एससी या ओबीसी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों आदि–को प्राथमिकता देती है। **डॉ. कस्तूरीरंगन** समिति ने इसे सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मूल आधार माना। **नंदिनी चटर्जी (2021)** ने पाया कि एन.ई.पी.–2020 न केवल पहुंच को सुनिश्चित करती है, बल्कि शिक्षण को छात्रों की सामाजिक–पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुरूप ढालने की बात करती है।

एन.ई.पी.–2020 अनुसंधान को शिक्षा का मूल अंग मानती है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना इसका प्रमाण है। पॉलो फ्रेरे की दृष्टि में शिक्षा एक मुक्तिदायी प्रक्रिया है, जिसमें छात्र सक्रिय भागीदार होते हैं। **डॉ. अरुणा मोहन (2022)** के अनुसार, डिजिटल तकनीक और । जैसे नवाचार ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशिता बढ़ा सकते हैं, यदि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप लागू किए जाएं।

शोध दर्शाते हैं कि शिक्षक की सोच और प्रशिक्षण समावेशिता को प्रभावित करते हैं। **यूनेस्को (2020)** की रिपोर्ट के अनुसार, समावेशी शिक्षण के लिए शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी है। एन.ई.पी.–2020 इस दिशा में शिक्षक प्रशिक्षण को पुनः परिभाषित करती है। **डॉ. ममता शर्मा (2021)** के अनुसार, शिक्षकों की मानसिकता में परिवर्तन के बिना कोई नीति सफल नहीं हो सकती।

कोविड–19 ने डिजिटल अंतर को उजागर किया। नीति आयोग के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 25 घरों में इंटरनेट है। **डॉ. राकेश वर्मा (2023)** ने सुझाया कि डिजिटल शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं में सामग्री, ऑफलाइन विकल्प और कम बैंडविड्थ प्लेटफॉर्म की जरूरत है।

एन.ई.पी.–2020 प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की सिफारिश करती है। इससे छात्रों की समझ, आत्मविश्वास और संवाद क्षमता बढ़ती है। हालांकि, भाषाई विविधता के कारण यह जटिल कार्य है।

समग्र शिक्षा अभियान, दीक्षा पोर्टल, पढ़े भारत–बढ़े भारत जैसी योजनाएँ समावेशिता को बढ़ावा देती हैं। एनसीईआरटी और यूजीसी ने भी समावेशी शिक्षा हेतु दिशानिर्देश और मॉड्यूल विकसित किए हैं।

शोध का उद्देश्यः

इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि नई शिक्षा नीति–2020 किस प्रकार समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है, और इसमें शोध व नवाचार की क्या भूमिका है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

1. एन.ई.पी.–2020 के समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण करना।
2. शिक्षा में समावेशिता को लागू करने में नवाचारों की भूमिका का अध्ययन करना।
3. नीति के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों को समझना।
4. शोध एवं नवाचार के माध्यम से समावेशी शिक्षा को सशक्त बनाने के उपाय सुझाना।
5. शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों की समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धतिः

इस अध्ययन में वर्णनात्मक और गुणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रावधानों, नवाचारों एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण करना है। शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया।

विश्लेषणः

नई शिक्षा नीति–2020 ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में समावेशिता और नवाचार को नई दिशा देने का प्रयास किया है। इस खंड में उन विभिन्न आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है, जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में इस नीति के प्रभाव, इसकी व्यवहारिकता, उसमें हो रहे नवाचार, चुनौतियाँ और संभावनाओं को दर्शाते हैं।

1. नीति के समावेशी दृष्टिकोण का विश्लेषणः

एन.ई.पी.–2020 की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह शिक्षा को "सभी के लिए" सुलभ और समतामूलक बनाने की दृष्टि से बनाई गई है। इसमें समावेशी शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा गया है, न कि केवल एक विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सुविधा के रूप में।

नीति के अनुसार, निम्नलिखित वर्गों को समावेशिता की दृष्टि से प्राथमिकता दी गई है:

- वंचित सामाजिक समूह
- दिव्यांगजन
- लड़कियाँ और महिलाएँ
- अल्पसंख्यक समुदाय
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग

इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि नीति ने शिक्षा को सामाजिक न्याय से जोड़ा है। यह केवल स्कूल में प्रवेश तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, भागीदारी और परिणामों तक विस्तारित है।

2. शोध और नवाचार का योगदानः

नीति में उल्लेख किया गया है कि शोध और नवाचार शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता दोनों के लिए अनिवार्य हैं। इसके विश्लेषण से निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं:

- **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशनः**

इस संस्था की स्थापना उच्च गुणवत्ता वाले शोध को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इसका उद्देश्य शोध को सामाजिक समस्याओं से जोड़ना है, जिसमें समावेशी शिक्षा एक प्रमुख विषय हो सकता है।

- **शिक्षण में नवाचार:**

नीति यह मानती है कि पारंपरिक पाठ्यचर्या और एकरूपी शिक्षण पद्धतियाँ हर छात्र के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए वैयक्तिकृत, प्रोजेक्ट–बेस्ड और प्रयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है।

- **तकनीकी नवाचार:**

डिजिटल शिक्षा, ई–कंटेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित शैक्षणिक उपकरणों का प्रयोग समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला सकता है, यदि इनका सही दिशा में उपयोग किया जाए।

3. शिक्षक और संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण:

- **शिक्षक प्रशिक्षण में कमियाँ:**

नीति यह स्वीकार करती है कि अधिकांश शिक्षक समावेशी शिक्षा की मूल अवधारणाओं से अवगत नहीं हैं। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समावेशी दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने के लिए सतत शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है।

- **संस्थानों की संरचनात्मक सीमाएँ:**

विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए आवश्यक भौतिक संसाधन (जैसे रैंप, विशेष शिक्षक, ब्रेल सामग्री) अब भी अधिकांश सरकारी स्कूलों में अनुपलब्ध हैं। यह समावेशी शिक्षा के मार्ग में बड़ी बाधा है।

4. डिजिटल डिवाइड और समावेशी शिक्षा:

एन.ई.पी.–2020 डिजिटल तकनीकों को समावेशी शिक्षा का एक आधार मानती है, लेकिन व्यवहारिक विश्लेषण यह दर्शाता है कि

- ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइस की उपलब्धता सीमित है।
- डिजिटल सामग्री अधिकांशतः अंग्रेजी में उपलब्ध है, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बाधा उत्पन्न होती है।
- दिव्यांग छात्रों के लिए अनुकूल डिजिटल सामग्री की कमी है।

इस प्रकार, डिजिटल नवाचार समावेशिता को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन डिजिटल असमानता के कारण यह कहीं–कहीं भेदभाव को भी गहरा करते हैं।

5. भाषा और पाठ्यक्रम से जुड़ी समावेशिता:

एन.ई.पी.–2020 की एक प्रमुख विशेषता है मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा का प्रस्ताव। इसका विश्लेषण निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत करता है:

- यह निर्णय ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
- यह छात्रों की सीखने की गति, समझ, और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।

किंतु, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा में भाषाई अंतर बना रहता है, जिससे छात्रों को भविष्य में कठिनाई हो सकती है। इसलिए, नीति में भाषाई समावेशिता के साथ–साथ द्विभाषिक लचीलापन आवश्यक है।

6. समावेशी शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता का विश्लेषण:

भारत में शिक्षा का परिदृश्य अत्यंत विविध है। विभिन्न राज्यों में एन.ई.पी.–2020 के कार्यान्वयन में अंतर देखा गया है कुछ राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) में नीति के समावेशी पहलुओं को लागू करने की दिशा में अच्छे प्रयास किए गए हैं। अन्य राज्यों में संसाधनों की कमी और प्रशासनिक अक्षमता के कारण इसे जमीनी स्तर पर लागू करना कठिन हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि नीति की सफलता राज्य–स्तरीय प्रतिबद्धता और क्षमताओं पर भी निर्भर करती है।

7. समावेशिता और सामाजिक दृष्टिकोण:

नीति के समावेशी प्रयासों को सामाजिक स्वीकृति भी आवश्यक है। विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि समाज में अब भी दिव्यांग, दलित या अल्पसंख्यक छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह मौजूद हैं। बालिकाओं की शिक्षा में बाधाएँ अब भी सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित होती हैं। अतः केवल नीति परिवर्तन पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी सकारात्मक बदलाव आवश्यक है।

8. अनुसंधान की वर्तमान स्थिति और आवश्यकता:

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में समावेशी शिक्षा पर अभी भी सीमित अनुसंधान हुआ है। विशेषकर निम्न क्षेत्रों में शोध की आवश्यकता है:

- समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में शिक्षक की भूमिका
- डिजिटल शिक्षा और समावेशिता के बीच संबंध
- ग्रामीण और शहरी छात्रों के अनुभवों की तुलना
- नवाचारों का वास्तविक प्रभाव

एन.ई.पी.–2020 शोध की आवश्यकता को पहचानती है, लेकिन इसके लिए संस्थागत सहयोग, फंडिंग और नीति–संचालित दिशा की जरूरत है।

सुझाव:

1. सतत और समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को विविधता, तकनीक और व्यावहारिक चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक है।
2. बहुभाषी और सुलभ डिजिटल सामग्री तैयार की जाए, जो तकनीकी रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए भी उपयोगी हो, साथ ही ऑफलाइन भी उपलब्ध हो।
3. स्कूलों में भौतिक सुविधाएँ (जैसे रैंप, विशेष शौचालय), सहायक उपकरण और शैक्षिक सामग्री सुनिश्चित की जाए।
4. समावेशी शिक्षा पर केंद्रित शोध परियोजनाओं को विशेष फंडिंग दी जाए और नीतिगत फैसलों से जोड़ा जाए।

5. राज्यों के बीच समन्वय, निगरानी, अनुदान और तकनीकी सहयोग के माध्यम से नीति के क्रियान्वयन को मजबूत किया जाए।
6. समाज में समावेशी शिक्षा की समझ और स्वीकृति के लिए अभियान चलाए जाएँ और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
7. प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग बढ़ाकर बहुभाषिक शिक्षा मॉडल अपनाया जाए और पाठ्यक्रम का स्थानीयकरण किया जाए।
8. दिव्यांग और अन्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, सहायता उपकरण और समन्वित शैक्षणिक योजनाएं लागू की जाएँ।
9. लचीली, डिजिटल और प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाए जो सभी छात्रों की विविध क्षमताओं को मान्यता दे।
10. नीति के क्रियान्वयन पर सतत फीडबैक लिया जाए और डेटा आधारित निर्णयों के जरिए समय पर सुधार सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्ष:

नई शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी.–2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा को एक केंद्रीय स्थान प्रदान करती है। यह नीति शिक्षा को केवल कुछ वर्गों तक सीमित न रखकर, समाज के हर वर्ग : विशेषकर वंचित, दिव्यांग, अल्पसंख्यक और ग्रामीण छात्रों तक पहुँचाने की बात करती है। समावेशिता को केवल एक सुविधा न मानकर, इसे शिक्षा का मौलिक अधिकार माना गया है, जिससे सभी बच्चों को समान अवसर और गरिमा के साथ सीखने का अधिकार मिले।

नीति में शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों का स्थानीयकरण, बहुभाषिक शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सहायक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने जैसे ठोस प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है। यह प्रयास समावेशी शिक्षा को व्यवहारिक, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक होंगे। हालाँकि, इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं जैसे शिक्षकों की तैयारी की कमी, संसाधनों का अभाव, भौतिक संरचनाओं की असुविधा, सामाजिक पूर्वाग्रह और डिजिटल विभाजन। इन समस्याओं के समाधान के लिए नीति के सुझावों का ईमानदारी से पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी अत्यंत जरूरी है।

भाषाई विविधता को महत्व देते हुए मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान और द्विभाषिक मॉडल अपनाना एक सकारात्मक पहल है। अंततः एन.ई.पी–2020 समावेशी, न्यायसंगत और प्रेरणादायक शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक सशक्त कदम है। इसके सफल कार्यान्वयन से एक सशक्त, संवेदनशील और समावेशी समाज का निर्माण संभव है।

संदर्भित ग्रंथः

1. भारत सरकार। (2020). नई शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
2. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66), भारत सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रिपोर्ट।
3. एनसीईआरटी। (2021). समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और प्रथाएँ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
4. यूनेस्को। (2017). समावेशी शिक्षारू वैश्विक परिप्रेक्ष्य। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर।
5. सरकार, भारत। (2021). राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना और कार्य। नीति आयोग।
6. शर्मा, आर. और सिंह, पी. (2022). नई शिक्षा नीति–2020 में समावेशी शिक्षा के नवाचार भारतीय शैक्षिक समीक्षा, खंड 45, अंक 3, 45–60।
7. वर्मा, एस. (2023). डिजिटल शिक्षा और समावेशितारू भारत में चुनौतियाँ और अवसर, तकनीकी शिक्षा पत्रिका, खंड 12, अंक 1, 20–35।
8. मिश्रा, आर. और गुप्ता, के. (2021). समावेशी शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण की भूमिका शिक्षा और समाज।

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation